

बिहार सरकार
समाहरणालय मुंगेर
मुंगेर-811201
(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक...634...../आ0प्र0, दिनांक...06.05.2021

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :-

बाढ़ एवं अन्य आपदाओं के दौरान खोज एवं बचाव कार्य के लिए ड्रोन का भाड़ा निर्धारण करने से संबंधित निविदा को मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निविदा संख्या- 02/2021-22 की सूचना 05 (पाँच) प्रति सी0डी0 सहित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अतः अनुरोध है कि व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र के अतिरिक्त एक उर्दू एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,

मुंगेर।

संभावित बाढ़ 2021 एवं अन्य आपदाओं के दौरान खोज एवं बचाव कार्य हेतु कैमरा ड्रोन का भाड़ा निर्धारण हेतु न्यूनतम दर निर्धारण से संबंधित निविदा

बाढ़ एवं अन्य आपदाओं के समय खोज एवं बचाव कार्य में सहायता हेतु ड्रोन का उपयोग करने का निदेश प्राप्त है। तदनुसार जिले में ड्रोन को भाड़ा पर लेने हेतु दर निर्धारण की आवश्यकता है। ड्रोन का भाड़ा (ऑपरेटर सहित) निर्धारित करने के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ता से सीलबंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग-अलग लिफाफे में होगी।

निविदाताओं को जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पदनाम से मो०- 10,000.00 (दस हजार) रुपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत शाखा, मुंगेर में जमा करनी होगी। इच्छुक आपूर्तिकर्ता/निविदादाता दिनांक 29.05.2021 के अपराह्न 12:00 बजे तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मुंगेर में निविदा दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे समाहरणालय सभाकक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

ड्रोन से संबंधित आवश्यक मानक/विषेशताएँ निम्न प्रकार है :-

क्र०	उपकरण का संक्षिप्त विवरण	उपकरण संबंधी विषेशताएँ
1	उड़ान क्षमता (जमीनी स्तर से उँचाई)	न्यूनतम 200 मीटर
2	कैमरा	न्यूनतम 20 Megapixel

निविदा की आवश्यक शर्तें :-

1. इच्छुक निबंधित आपूर्तिकर्ता/निविदाकर्ता के द्वारा द्वि लिफाफा पद्धति अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता को अग्रधन राशि के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट मूल में, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं निविदा प्रकाशित होने के बाद की तिथि का बना हो तथा जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा, मुंगेर में भुगतये हो, संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा। पुनः दोनो सीलबंद लिफाफा एक बड़े लिफाफा के अंदर रख कर सीलबंद करना होगा। लिफाफे के उपर फर्म का पूरा नाम, पता एवं मोबाईल नं० अंकित करना होगा।
4. निविदादाता को GST निबंधन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को सभी कर सहित भाड़ा का दर (ऑपरेटर सहित) निम्न प्रपत्र में अंकित करना होगा।

क्र०	समय	राशि रूपया में
1	प्रति घंटे	
2	प्रति दिन	

6. निविदादाता को इस आषय का शपथ पत्र देना होगा की सरकार द्वारा आदेशित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी गतिविधि में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा।
7. वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. अगर आपूर्तिकर्ता फर्म है तो कम्पनी अधिनियम में निबंधित होने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. अलग से कोई भी सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।
10. निविदादाता को विगत तीन (3) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।

11. निविदादाता को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित स्व-घोषणा संलग्न करना होगा।
12. निविदादाता को PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
13. स्वीकृत किये ड्रोन (भाड़ा) के अनुरूप आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

निविदा की वित्तीय शर्तें :-

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में भाड़े पर लिये जाने ड्रोन का दर प्रति घंटे/प्रतिदिन अलग-अलग अंकित करनी होगी। स्वीकृत किये भाड़ा के अलावा परिवहन व्यय या अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
2. वित्तीय निविदा लिफाफे पर निविदादाता का नाम, पता एवं मोबाईल नं० अंकित होना चाहिए।
3. निविदादाता द्वारा सभी वांछित कागजात स्व-हस्ताक्षरित होना चाहिए।

निविदा की अन्य शर्तें :-

1. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आषय का एकारारनामा करना होगा की वे आदेश के पश्चात् तुरन्त ड्रोन को जिला के बाढ़ एवं अन्य आपदा से प्रभावित स्थल/अंचल मुख्यालय तक पहुंचाएंगे।
2. निविदा में अंकित भाड़े पर लिये जाने वाले सामग्री की आपूर्ति जिला अंतर्गत किसी भी स्थान पर करना होगा। इसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
3. सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर पर अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति प्राप्त किया जा सकता है।
4. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता के द्वारा ससमय आदेशित भाड़े पर दिये जाने वाले सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य निविदादाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर आपूर्ति ली जा सकती है।
5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
6. स्वीकृत निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
7. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
8. आपूर्ति की गयी सामग्रियों के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार जी०एस०टी०/आयकर देय होगा, जिसकी कटौती एकमुष्ट भुगतान के समय की जायेगी।
9. दर का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु की जायेगी तथा उक्त निर्धारित दर पर अन्य कार्यों हेतु भी ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है।
10. जिस आपूर्तिकर्ता को उपरोक्त सभी शर्त स्वीकार हो वैसे आपूर्तिकर्ता निविदा में भाग ले सकते हैं।

Note :- विशेष जानकारी के लिए मुंगेर जिला के वेबसाईट <http://munger.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।


 जिला पदाधिकारी,
 मुंगेर।